राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 100/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मुथूट होमफिन (इण्डिया) लि0, शाखा कार्यालय 4 फ्लोर, यूनिट नंबर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश खटीक पुत्र दीप चन्द खटीक निवासी 659, रामरतन नगर, खटीकों का मोहल्ला, ग्राम आमली, गंगापुर, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती गीता देवी पत्नि दीप चन्द खटीक निवासी 659, रामरतन नगर, खटीकों का मोहल्ला, ग्राम आमली, गंगापुर, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री दीपक भुटानी।

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, मुथूट होमफिन (इण्डिया) लि0, शाखा कार्यालय यूनिट नंबर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 5,15,342/– रूपये का ऋण दिनांक 31.05.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति रहन रखी गयी – गीता देवी पत्नी दीप चन्द खटीक को जरिये विक्रय पत्र पट्टा नंबर 42, ग्राम राम रतन नगर, ग्राम पंचायत आमली, पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा जो कि दिनांक 01.09.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 51 में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 201703028102115 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 204 के पृष्ठ संख्या 5 से 8 पर चस्पा किया गया (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार)। दिनांक 31.12.2020 तक कुल बकाया ऋण की राशि 5,96,463/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।